(2)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 2688-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 2/अपील/2009-10.

---

राधेश्याम आत्मज डालूजी जाट
निवसी-ग्राम जाट गुराडिया, तह. सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

तेजाराम आत्मज डालूजी जाट
निवसी-ग्राम जाट गुराडिया, तह. सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अनावेदक

---

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री सचिन चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

---

## -:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 15.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, सिवनी मालवा से अपने भूमिस्वामित्व की भूमि नंबर 3/13 रकबा 6 एकड़ स्थित ग्राम सहजकुई का सीमांकन कराया गया, जिसमें दो एकड़ भूमि पर आवेदक का अप्राधिकृत कब्जा पाया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा वापस दिलाये जाने हेतु ग्राम न्यायालय, शिवपुर में संहिता

की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। ग्राम न्यायालय, शिवपुर ने प्रकरण क्रमांक 7/03 दर्ज कर दिनांक 26.06.2004 को कब्जा दिलाया गया, लेकिन आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमिपर बक्खर चलाकर बोई हुई भूमि पर पुन: जबरन कब्जा कर लिया। अनावेदक द्वारा कब्जा वापस दिलाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 (क) (ख) के तहत अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2009 को आवेदक को संहिता की धारा 250 क(1) में निर्मित उपबंधों के अनुरूप 15 दिन की कालावधि के लिए सिविल कारागार में परिरूद्ध किये जाने व साथ ही पूर्व में निष्पादित बंध पत्र की राशि रूपये 10,000/- की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15.12.2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया कि संहिता की धारा 250 के तहत आदेश होने के पश्चात् की संहिता की धारा 250(क) के तहत कार्यवाही की जाती है, संहिता की धारा 250 के तहत जिस पक्षकार का कब्जा निकलता है, वह कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् यदि पुन: कब्जा कर लिया जाता है, तब उस स्थिति में संहिता की धारा 250(क) के तहत कार्यवाही प्रचलित होती है।

(2) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मूल प्रकरण संहिता की धारा 250 के तहत ग्राम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 13.03.2004 को आदेश पारित हुए है और आदेश में संहिता की धारा 250 के तहत आवेदक के पिता डालूजी के विरूद्ध आदेश पारित हुए थे, ना कि आवेदक के विरूद्ध कोई आदेश पारित हुआ था। इसलिए संहिता की धारा 250 (क) के तहत डालूजी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्ती योग्य है

(3) स्वयं अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत लिखित तर्क की कंडिका 2 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दो एकड़ भूमि पर डालूजी का अवैध अतिक्रमण कर कब्जा पाया गया था। ऐसी स्थिति में अनावेदक की स्वीकृति से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्ध भी संहिता की धारा के तहत बेकब्जा किये जाने का आदेश पारित नहीं हुआ है। इसलिए भी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि से पहले कब्जा हटाया गया तथा दोबारा कब्जा किया गया है अत: तहसील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को सिविल जेल का सही प्रस्ताव भेजा जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने सही आदेश किया है । पिता की मृत्यु होने पर उनके वैधानिक वारिस पर भी पिता के विरूद्ध पारित आदेश लागू होगा । अत: इस संबंध में भी आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर